



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Between
THE BUREAU OF INDIAN STANDARDS
and
THE EUROPEAN COMMITTEE FOR
STANDARDIZATION
and
THE EUROPEAN COMMITTEE FOR
ELECTROTECHNICAL STANDARDIZATION

Memorandum of Understanding between,

The Bureau of Indian Standards (hereafter referred to as "BIS"), with registered office in Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110 002, India,

on the one part,

The European Committee for Standardization (hereafter referred to as "CEN"), an international non-profit organization established under Belgian law with registered office in 23 Rue de la Science, B-1040 Brussels (Belgium),

The European Committee for Electrotechnical Standardization (hereafter referred to as "CENELEC"), an international non-profit organization established under Belgian law with registered office in 23 Rue de la Science, B-1040 Brussels (Belgium),

on the other part,

hereinafter referred to individually as "the Party" or collectively as "the Parties".

Prasad

[Signature]

WHEREAS:

- CEN and CENELEC are two of the three European Standardization Organizations (ESOs) whose main objective is to contribute to the removal of trade barriers for European industry and consumers. The mission of CEN and CENELEC is to foster the European economy in global trading, the welfare of European citizens and the environment. CEN and CENELEC have the institutional authority, in application to Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council on 25 October 2012 through their services to provide a platform for the development of European Standards and other consensus-based publications;
- BIS is the National Standardization Body of India established under the BIS Act 2016 for the harmonious development of standardization activities, marking and quality certification of goods and for matters connected therewith or incidental thereto;
- The Parties undertake to respect each other's policies with regard to copyrights, patents and trademarks;
- The Parties have expressed their mutual desire to develop their cooperation in the field of standardization based on Indian, European and international principles, laws and regulations and standards, in accordance with the economic interests of their respective stakeholders.

THEREFORE, in consideration of the foregoing and other considerations, the Parties hereby have reached the following understanding:

ARTICLE 1

Purpose of the Cooperation


The purpose of this Memorandum of Understanding (MoU) is to develop and strengthen technical cooperation in the field of standardization between the Parties, in order to contribute to the removal of technical barriers to trade; to improve economic, scientific and technical relations; to ensure the compatibility and interchangeability of supplied products and their safety for human life, health and private property, and to promote environmental protection.

ARTICLE 2

Areas of Cooperation

Respectful of their legal environment and mission, the Parties agree to carry out the following cooperation activities:

- a. To collaborate in support of ISO or IEC strategic and technical activities,



based on a commonly agreed interest;

- b. To enhance the mutual understanding of the development of standards in Europe and India;
- c. To keep each other informed about the most recent developments of national (India) and regional (Europe) standardization work and related issues, including the policy framework governing standardization in India and Europe;
- d. To exchange views and cooperate on strategic initiatives with the Seconded European Standardization Expert in India (SESEI) Project;
- e. To provide upon specific request information in English regarding published standards and other standardization deliverables, understanding that such information would not cover the full text of standards and other standardization deliverables;

And


- f. To foster the uptake of ISO and IEC standards, working together to identify alignment between the adoption of those international standards in Europe and in India, and to facilitate the provision of European standards and other standardization deliverables for adoption in India, as appropriate, in accordance with its national circumstances, in full respect of applicable rules and obligations, agreeing that those standards and deliverables are European "homegrown" standards not resulting from the identical adoption of ISO or IEC standards.

ARTICLE 3

Cooperation Modalities

The Parties agree to implement the MoU in the areas identified under Article 2 by:

- a. Organizing regular meetings, at least once a year, to exchange views on strategic matters and review progress achieved in the cooperation. The Parties shall coordinate as much as possible regarding the schedule of meetings held under this MoU with respect to other international events, e.g. the ISO General Assembly or the IEC General Meeting;
- b. Establishing and discussing fields of mutual interest regarding the standardization work developed at ISO and IEC level, and agreeing on appropriate communication routes in order to support the Parties' contributions to international standardization;



- c. Exchanging information and experiences on standardization, as well as textbooks and other training materials on standardization;
- d. Arranging experts' workshops, seminars and symposia in the areas of mutual interest [see in Annex 1];
- e. Arranging experts' practical training and study visits in the areas of mutual interest;
- f. Exchanging specialists and lecturers in the areas of mutual interest;
- g. Establishing working groups in the areas of mutual interest;
- h. Exchanging catalogues of published standards, work programmes and corporate publications;
- i. Organizing public events or developing effective and efficient channels to communicate with and educate the general public about standardization-related issues;
- j. Developing effective and efficient schemes to better support SMEs and other interested stakeholders and to engage them more in developing related standards; and
- k. Enabling the adoption of CEN and CENELEC standards by BIS through the conclusion of Framework License Agreements to be concluded separately.

Should a Party request the other Party/ies to engage in specific cooperation activities requiring ad-hoc financial resources, unless otherwise agreed, the requesting Party will bear the related expenses.


ARTICLE 4 **Communication Modalities**

The Parties will respectively assign a contact person in their organization, who will act as a focal point for channeling exchanges.

In order to ensure efficient communication, each Party shall timely notify the other Parties regarding any change of contact person. Day-to-day communication will be carried out via e-mails.

ARTICLE 5 **General Terms and Conflict Resolution**

The Parties recognize that the implementation of this MoU and cooperation activities falling within its scope is dependent on the availability of necessary funding and resources. The Parties resolve to undertake activities only where the required budget and resources are available, without liability of any Party to the others.



All activities under this MoU are undertaken on a voluntary basis and within the scope and capabilities of the Parties.

The Parties undertake to solve amicably any problem arising under or relating to the interpretation or implementation of this MoU, through negotiations and consultations between the Parties.

ARTICLE 6
Protection of IPR

The Parties accept that the intellectual property rights (IPR) of each Party, whatever their nature or origin, shall remain the exclusive property of that owning Party and shall be used in accordance with the instructions as indicated by such owning Party. Nothing in this MoU shall be construed as giving rise to or licensing the right to any of the IPR of the Parties, unless this is specifically agreed to by the Parties.


Should the activities under this MoU give rise to intellectual property (IP), the Parties shall enter into a separate agreement that will specifically provide for ownership, management and commercialization of such rights to such IP in line with rules and regulations of each Party and other multilateral agreements to which both Parties are party to.

ARTICLE 7
Publication

This MoU is not intended for the publication of technical documents such as standards, technical specifications or technical reports. Any corporate publication, document and/or paper developed jointly by the Parties pursuant to this MoU will be jointly owned. The use of the names, logos, trademarks and/or official emblems of the Parties on any publication, document and/or paper will require prior permission of the owning Party. The Parties shall ensure that the names, logos, trademarks and/or official emblems of the Parties are not misused and shall promptly inform the other Party in case they receive information of an alleged or actual misuse.

ARTICLE 8
Confidentiality

Considering that this MoU is aiming at the engagement of their respective communities as defined in Article 1, all information and documents that will be shared by the Parties are not considered confidential. However, in exceptional circumstances, the information and documents that will be specifically designated in advance by the Parties as confidential in view to be exchanged pursuant to the



Memorandum of Understanding will be kept confidential by the receiving Party and will be used subject to such terms as the sending Party may specify. The Parties will not use the information for purposes other than that specified without the prior written consent of the other Party.

ARTICLE 9

Commencement, Amendment and Termination

This MoU shall enter into force on this third day of March 2022 and continue for a period of five years. Thereafter it may be extended for subsequent periods of five years at a time by mutual written consent of both the parties.

Each Party may terminate this MoU anytime with six months' written notice to the other Parties.

The present MoU may be amended anytime upon mutual written consent by the Parties. The written amendment shall be annexed to this MoU.

IN WITNESS WHEREOF, this Memorandum of Understanding is signed by the authorized representative of each Party in three originals each in English and Hindi, and all of them being equally authentic. In case of inconsistency, English text shall prevail.

Pramod Kumar Tiwari

Elena SANTIAGO CID


Director General

Director General

Bureau of Indian Standards (BIS)

European Committee for Standardization
(CEN),
European Committee for Electrotechnical
Standardization (CENELEC)

Signature:



Signature:



Annex 1

Areas of Mutual Interest between CEN, CENELEC and BIS

- Electrical & Consumer Electronics covering topics such as Smart Energy, LVDC, Micro Grid etc.
- Installation Rules
- Automotive (Transport) covering e-Mobility, ITS etc.
- Information & Communication Technologies (ICT)
- Innovation and Digital Transformation

Service Note: These topics may from time to time be amended by the duly authorized representatives of the parties upon consultation.

Pranod



भारतीय मानक ब्यूरो

तथा

द यूरोपियन कमेटी फॉर स्टैंडर्डिजेशन

और

द यूरोपियन कमेटी फॉर इलेक्ट्रोटेक्निकल
स्टैंडर्डिजेशन

के बीच समझौता ज्ञापन

भारतीय मानक ब्यूरो (इसके बाद "बीआईएस" के रूप में संदर्भित), मानक भवन में पंजीकृत कार्यालय, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली 110 002, भारत,

एक तरफ,

द यूरोपियन कमेटी फॉर स्टैंडर्डिजेशन (बाद में "सीईएन" के रूप में संदर्भित), बेल्जियम कानून के तहत स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन, जिसका पंजीकृत कार्यालय 23 रूएडे ला साइंस, बी-1040 ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है।

द यूरोपियन कमेटी फॉर इलेक्ट्रोटेक्निकल स्टैंडर्डिजेशन (इसके बाद "सीईएनईएलईसी" के रूप में संदर्भित), बेल्जियम के कानून के तहत स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन, जिसका पंजीकृत कार्यालय 23 रूएडे ला साइंस, बी-1040 ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में है।

दूसरे भाग पर,

प्रमोद

इसके बाद व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" या सामूहिक रूप से "पक्षों" के रूप में संदर्भित किया गया।

जबकि:

- सीईएन और सीईएनईएलईसी तीन यूरोपीय मानकीकरण संगठनों (ईएसओ) में से दो हैं जिनका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए व्यापार बाधाओं को दूर करने में योगदान करना है। सीईएन और सीईएनईएलईसी का मिशन वैश्विक व्यापार, यूरोपीय नागरिकों के कल्याण और पर्यावरण में यूरोपीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यूरोपीय मानकों और अन्य आम सहमति-आधारित प्रकाशनों के विकास के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए 25 अक्टूबर 2012 को यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) संख्या 1025/2012 के आवेदन में सीईएन और सीईएनईएलईसी के पास संस्थागत अधिकार हैं;
- बीआईएस भारत का राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है जिसकी स्थापना बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत मानकीकरण गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास, माल के मुहरांकन और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए की गई है;
- पक्षों कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क के संबंध में एक-दूसरे की नीतियों का सम्मान करने का वचन देते हैं;
- पक्षों ने अपने संबंधित हितधारकों के आर्थिक हितों के अनुसार भारतीय, यूरोपीय और अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों, कानूनों और विनियमों और मानकों के आधार पर मानकीकरण के क्षेत्र में अपने सहयोग को विकसित करने की अपनी पारस्परिक इच्छा व्यक्त की है।

इसलिए, पूर्वगामी और अन्य विचारों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों एतद्वारा निम्नलिखित समझ पर पहुँचने के लिए सहमत हैं:

अनुच्छेद 1 सहयोग का उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य पक्षों के बीच मानकीकरण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को विकसित और मजबूत करना है, ताकि व्यापार में तकनीकी बाधाओं को दूर करने में योगदान दिया जा सके; आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संबंधों में सुधार करने के लिए; आपूर्ति किए गए उत्पादों की संगतता और विनिमेयता सुनिश्चित करते हुये मानव जीवन, स्वास्थ्य और निजी संपत्ति के लिए उनकी सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सकें।

अनुच्छेद 2 सहयोग के क्षेत्र

अपने कानूनी वातावरण और मिशन का सम्मान करते हुए, पक्षों निम्नलिखित सहयोग गतिविधियों को करने के लिए सहमत हैं:

प्रमोद

- क) आम सहमति के आधार पर आईएसओ या आईईसी रणनीतिक और तकनीकी गतिविधियों के समर्थन में सहयोग करना;
- ख) यूरोप और भारत में मानकों के विकास की आपसी समझ को बढ़ाना;
- ग) भारत और यूरोप में मानकीकरण को नियंत्रित करने वाले नीतिगत ढांचे सहित राष्ट्रीय (भारत) और क्षेत्रीय (यूरोप) मानकीकरण कार्य और संबंधित मुद्दों के नवीनतम विकासों के बारे में एक दूसरे को संसूचित करना;
- घ) भारत में द्वितीय यूरोपीय मानकीकरण विशेषज्ञ (एसईएसईआई) परियोजना के साथ रणनीतिक पहल पर विचारों का आदान-प्रदान और सहयोग करना;
- ङ) प्रकाशित मानकों और अन्य मानकीकरण प्रदेयसंबंधी अंग्रेजी में विशिष्ट अनुरोध जानकारी प्रदान करने के लिए, यह समझते हुए कि ऐसी जानकारी मानकों और अन्य मानकीकरणप्रदेयके पूर्ण पाठ को कवर नहीं करेगी;

और

- च) आईएसओ और आईईसी मानकों को बढ़ावा देने के लिए, यूरोप और भारत में उन अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने के बीच संरेखण की पहचान करने के लिए मिलकर काम करना, और भारत में अपनाने के लिए यूरोपीय मानकों और अन्य मानकीकरण प्रदेय के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए, अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ, लागू नियमों और दायित्वों के पूर्ण सम्मान में, यह मानते हुए कि वे मानक और प्रदेय यूरोपीय "घरेलू" मानक हैं जो आईएसओ या आईईसी मानकों को समान रूप से अपनाने के परिणामस्वरूप नहीं हैं।

अनुच्छेद 3 सहयोग के साधन

पक्षों अनु. 2 के तहत पहचाने गए क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए सहमत हैं।

- क) रणनीतिक मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने और सहयोग में प्राप्त प्रगति की समीक्षा करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार नियमित बैठकें आयोजित करना। पक्षों इस समझौता ज्ञापन के तहत आयोजित बैठकों की अनुसूची को अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों, जैसे आईएसओ महासभा या आईईसी आम बैठक के साथ यथासंभव समन्वित करेंगी;
- ख) आईएसओ और आईईसी स्तर पर विकसित मानकीकरण कार्य के संबंध में पारस्परिक हित के क्षेत्रों की स्थापना और चर्चा करना, और अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण में पक्षों के योगदान का समर्थन करने के लिए उपयुक्त संचार-मार्गों पर सहमत होना;
- ग) मानकीकरण पर पाठ्यपुस्तकों और अन्य प्रशिक्षण सामग्री के मानकीकरण पर जानकारी और अनुभवों का आदान-प्रदान;
- घ) पारस्परिक हित के क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और संगोष्ठियों की व्यवस्था करना [अनुलग्नक 1 देखें];

प्रतीक

- ड) आपसी हित के क्षेत्रों में विशेषज्ञों के व्यावहारिक प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों की व्यवस्था करना;
- च) पारस्परिक हित के क्षेत्रों में विशेषज्ञों और व्याख्याताओं का आदान-प्रदान;
- छ) आपसी हित के क्षेत्रों में कार्यकारी समूहों की स्थापना;
- ज) प्रकाशित मानकों, कार्य कार्यक्रमों और कॉर्पोरेट प्रकाशनों के कैटलॉग का आदान-प्रदान;
- झ) मानकीकरण से संबंधित मुद्दों के बारे में आम जनता के साथ संवाद करने और शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन या प्रभावी और कुशल चैनल विकसित करना;
- ञ) एसएमई और अन्य इच्छुक हितधारकों को बेहतर समर्थन देना और संबंधित मानकों को विकसित करने में उन्हें और अधिक इसमें संलिप्त करने के लिए प्रभावी और कुशल योजनाओं का विकास करना; तथा
- ट) पृथक् रूप से सम्पन्न करने के लिए फ्रेमवर्क लाइसेंस समझौतों के निष्कर्ष के माध्यम से बीआईएस द्वारा सीईएन और सीईएनईएलईसीमानकों को अपनाने में सक्षम बनाना।

यदि कोई पक्ष अन्य पक्ष/ पक्षों से तदर्थ वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता वाली विशिष्ट सहयोग गतिविधियों में जुड़ने का अनुरोध करता है, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, अनुरोधकर्ता पक्ष संबंधित खर्चों को वहन करेगा।

अनुच्छेद 4 संचार के साधन

पक्षों क्रमशः अपने संगठन में एक संपर्क व्यक्ति को नियुक्त करेगा, जो एक्सचेंजों को प्रसारित करने के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगा।

दक्ष संचार सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक पक्ष अन्य पक्षों को संपर्क व्यक्ति के किसी भी परिवर्तन के बारे में समय पर सूचित करेगा। दिन-प्रतिदिन के पत्राचार को ई-मेल के माध्यम से किया जाएगा।

अनुच्छेद 5 सामान्य शर्तें और टकराव समाधान

पक्षों यह मानते हैं कि इस समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन और इसकी परिधि में आने वाली सहयोग गतिविधियाँ आवश्यक धन और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। पक्ष केवल वहीं गतिविधियों को करने का संकल्प लेती हैं जहां किसी पक्ष के किसी अन्य के दायित्व के बिना आवश्यक बजट और संसाधन उपलब्ध हों।

इस समझौता ज्ञापन के तहत सभी गतिविधियां स्वैच्छिक आधार पर और पक्षों के दायरे और क्षमताओं के भीतर की जाती हैं।

प्रमोद

पक्षकारों के बीच बातचीत और परामर्श के माध्यम से, इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन के तहत उत्पन्न होने वाली या संबंधित किसी भी समस्या को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद 6 **आईपीआर का संरक्षण:**

पक्षों स्वीकार करती हैं कि प्रत्येक पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), चाहे उनकी प्रकृति या मूल कुछ भी हो, उस स्वामित्व वाले पक्ष की अनन्य संपत्ति रहेगी और इस तरह के मालिक पक्ष द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार उपयोग की जाएगी। इस एमओयू में कुछ भी पक्षों के किसी भी आईपीआर के अधिकार को देने या लाइसेंस देने के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि पक्षों द्वारा विशेष रूप से सहमति न हो।

एमओयू के तहत गतिविधियों से बौद्धिक संपदा (आईपी) को बढ़ावा देने के लिए, पक्षों को अलग-अलग समझौते करने होंगे जो विशेष रूप से प्रत्येक पक्ष और अन्य बहुपक्षीय नियमों और विनियमों के अनुरूप ऐसे आईपी को ऐसे अधिकारों के स्वामित्व, प्रबंधन और व्यावसायीकरण के लिए प्रदान करेंगे जिसमें दोनों पक्ष पक्षकार हो।

अनुच्छेद 7 **प्रकाशन**

यह समझौता ज्ञापन तकनीकी दस्तावेजों जैसे मानकों, तकनीकी विशिष्टताओं या तकनीकी रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए वांछित नहीं है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कोई भी कॉर्पोरेट प्रकाशन, दस्तावेज़ और/या पेपरों में संयुक्त रूप से स्वामित्व में रहेंगे। किसी भी प्रकाशन, दस्तावेज़ और/या कागज़ पर पक्षों के नाम, लोगो, ट्रेडमार्क और/या आधिकारिक प्रतीकों के उपयोग के लिए स्वामित्व पक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। पक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि पक्षों के नाम, लोगो, ट्रेडमार्क और/या आधिकारिक प्रतीकों का दुरुपयोग नहीं किया गया है और यदि वे किसी कथित या वास्तविक दुरुपयोग की जानकारी प्राप्त करते हैं तो तुरंत दूसरे पक्ष को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद 8 **गोपनीयता**

यह ध्यान में रखते हुए कि यह समझौता ज्ञापन अनुच्छेद 1 में परिभाषित उनके संबंधित समुदायों की भागीदारी के उद्देश्य से है, पक्षों द्वारा साझा की जाने वाली सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को गोपनीय नहीं माना जाता है। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, समझौता ज्ञापन के अनुसार आदान-प्रदान करने के लिए पक्षों द्वारा विशेष रूप से गोपनीय के रूप में निर्दिष्ट की जाने वाली जानकारी और दस्तावेजों को प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा गोपनीय रखा जाएगा और इस तरह की शर्तों के अधीन उपयोग किया

प्रमोद

जाएगा कि भेजने वाले पक्ष निर्दिष्ट कर सकता है। पक्ष दूसरे पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए जानकारी का उपयोग नहीं करेंगे।

अनुच्छेद 9 प्रारंभ, संशोधन और समाप्ति

यह समझौता ज्ञापन मार्च 2022 के इस तीसरे दिन से लागू होगा और पांच साल की अवधि के लिए जारी रहेगा। इसके बाद इसे दोनों पक्षों की आपसी लिखित सहमति से एक बार में पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

प्रत्येक पक्ष अन्य पक्षों को छह महीने की लिखित सूचना देकर किसी भी समय इस समझौता ज्ञापन को समाप्त किया जा सकता है।

पक्षों द्वारा आपसी लिखित सहमति पर वर्तमान समझौता ज्ञापन में कभी भी संशोधन किया जा सकता है। लिखित संशोधन इस समझौता ज्ञापन के साथ संलग्न किया जाएगा।

इसके साक्ष्य में, यह समझौता ज्ञापन प्रत्येक पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में तीन प्रतियों में हस्ताक्षरित किया जाता है, और ये सभी समान रूप से प्रामाणिक हैं। असंगति के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

प्रमोद कुमार तिवारी

महानिदेशक

भारतीय मानक ब्यूरो
(बीआईएस)

एलेना सँटियागो सिड

महानिदेशक

द यूरोपियन कमेटी फॉर स्टैंडर्डाइजेसन (सीईएन),
द यूरोपियन कमेटी फॉर इलेक्ट्रोटेक्निकल
स्टैंडर्डाइजेसन (सीईएनईएलईसी)

हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

परिशिष्ट 1

सीईएन, सीईएनईएलईसी और बीआईएस के बीच पारस्परिक हित के क्षेत्र

- स्मार्ट एनर्जी, एलवीडीसी, माइक्रो ग्रिड आदि जैसे विषयों को शामिल करने वाले इलेक्ट्रिकल और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स।
- संस्थापना नियम
- स्वचल (परिवहन) जिसमें ई-मोबिलिटी, आईटीएस आदि शामिल हैं।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)
- नवाचार और डिजिटल रूपान्तरण

सेवा नोट: पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा परामर्श पर इन विषयों को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

प्रमोद